

03/08/21

वकील वादी उप० नहीं। बार-बार
आवाज दिलाई गई। वकील वादी
को अनन्त आवाज शाम 5:30
बजे दिलाई गई। वकील वादी
उपस्थित नहीं। अतः वादी का
वाद अदम हाजरी व अदम
पैरों में खारेज किया जाता
है। पचावली नम्बर से कम
होकर वाद तकमील दाखिल
नफर हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर